

दिनांक: 07/01/2022

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय -संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों /सांविधिक निकायों /उद्यमों /अभिकरणों /निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण - वर्ष 2022

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/ निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है। इन कार्यशालाओं में सभी कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं। कोविड-19 के कारण गत वर्ष की भांति वर्ष-2022 में भी भारत सरकार द्वारा अगला आदेश जारी होने तक गहन हिंदी कार्यशालाओं को ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण तिथियों सहित अनुलग्नक-1 में दिया जा रहा है। सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कार्यशाला के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष के लिए उन्हें एक साथ नामित करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	भारत सरकार के कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशाला	(क) विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अभिप्रेरित करना । (ख) विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन काम को हिंदी में करने की झिझक को दूर करना । (ग) कार्यालयीन कार्य को करने की दक्षता (लेखन कौशल) प्रदान करना । (घ) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/ साफ्टवेयरों की जानकारी प्रदान करना ।	पाँच अर्ध कार्य दिवसीय	संघ सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/उद्यम/ अभिकरण/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।

पात्रता

- राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों को निदेश दिए गए हैं कि उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान • प्राप्त है। (कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा अलग से • / में दी गई है।)
- जो हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, परंतु जिन्हें इसके बावजूद भी हिंदी में कार्यालय का कार्य करने में कठिनाई होती है, उन्हें इन कार्यशालाओं में नामित किया जा सकता है।
- उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

• हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:-

मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है।

या

- केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत वांछित परीक्षा उत्तीर्ण की है।

या

- यदि कोई कर्मचारी नियम 10(1) (ख) के प्रावधान के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करता है कि उसने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

नामांकन प्रक्रिया एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक 'III' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को मेल द्वारा भिजवाएं, ताकि कर्मचारियों को पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी को इस कार्यालय द्वारा अलग से यथासमय ई-मेल द्वारा पुष्टि पत्र भेजा जाएगा।
- ऑनलाइन कार्यक्रम का समय अपराह्न 14.30 से 17.00 बजे तक निर्धारित है।


विशेष

- ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशालाओं के वार्षिक विवरण के लिए अनुलग्नक 'I' देखें।
- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में ई-मेल द्वारा शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र दिया जाएगा ।
- परिस्थितियां सामान्य होने पर भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार कार्यशालाएं ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी।

प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए सहायक निदेशक, श्रीमती समीर त्रिखा फोन/मोबाइल नं. 011-23793521, मो.9729177268 ई-मेल chti1182@nic.in/मो. 9582854331 ई मेल-chti1232@nic.in तथा ई-मेल adwschti-dol@nic.in पर संपर्क करें।

- संस्थान के अधिकारियों के संपर्क सूत्र के लिए अनुलग्नक-II देखें।


भवदीया,

 (सुमन लाल)
 निदेशक(प्रभारी)

पृष्ठांकन संख्या-19011/24/2021/कें.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि/ 05-705

दिनांक: 07/01/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
3. संयुक्त निदेशक (संस्थान), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली ।
4. संयुक्त निदेशक(मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक(पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/पूर्वोत्तर), हिंदी शिक्षण योजना।
6. सभी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
8. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली ।
9. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराएं।
10. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
11. उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बंगलूरु।


 (सुमन लाल)
 निदेशक(प्रभारी)

ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेंडर - वर्ष 2022
गहन हिंदी कार्यशालाएँ
(पाँच अर्ध कार्य दिवसीय)

क्रम संख्या	कार्यशाला सं.	प्रशिक्षण-अवधि
1.	521	17.01.2022 से 21.01.2022
2.	522	07.02.2022 से 11.02.2022
3.	523	21.02.2022 से 25.02.2022
4.	524	07.03.2022 से 11.03.2022
5.	525	04.04.2022 से 08.04.2022
6.	526	09.05.2022 से 13.05.2022
7.	527	06.06.2022 से 10.06.2022
8.	528	04.07.2022 से 08.07.2022
9.	529	18.07.2022 से 22.07.2022
10.	530	01.08.2022 से 05.08.2022
11.	531	05.09.2022 से 09.09.2022
12.	532	19.09.2022 से 23.09.2022
13.	533	31.10.2022 से 04.11.2022
14.	534	14.11.2022 से 18.11.2022
15.	535	05.12.2022 से 09.12.2022

संपर्क सूत्र

1.	2.
<p>निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सातवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ.परिसर लोदी रोड, नई दिल्ली -110003 दूरभाष-011-24361852 फैक्स-011-24361852 ई-मेल - dirchti-dol@nic.in</p>	<p>सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष-011-23793521,मो० 9729177268 फैक्स-011-23793521,मो० 9582854331 ई-मेल - adwschti-dol@nic.in</p>

प्रपत्र

अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान का स्थल	तैनाती	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	टेलीफोन नं(कार्यालय/ मोबा./ व्हाट्सएप नंबर	ई मेल आई डी

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय का पूरा पता.....

दूरभाष सं. फैक्स नं.

ई मेल आई डी ..